

२५/७/२३ पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उषा।
वादी वकील द्वारा निवेदन किया है कि
पत्रावली में पक्षकारों का दायी
शाहीनामा हो गया है जिससे उक्त
वाद का भार नहीं चलाना चाहते हैं।
इसलिए इस पत्रावली को नोट प्रेस में
स्वीकार किया जाये। हमारे द्वारा
पत्रावली का दायीकरण किया गया।
वकील वादी की मौखिक बहस पर
मन्न किया गया। प्रकरण में पक्षकारों
का शाहीनामा होने से पत्रावली को इसी
स्तर पर नोट-प्रेस में स्वीकार भी
जाती है पत्रावली नम्बर से कम होकर
जिसका शुभार है।



NOTED
जुद्धलाल शर्मा
२५/७/२३